# THE RAJASTHAN CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

### Bill

further to amend the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2023.
  - (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment in section 8, Rajasthan Act No. XXX of 1952.- For the existing section 8 of the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Act No. XXX of 1952), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-
- **"8. Penalties for contravention of Act and Rules thereunder.**-If the owner or person incharge of a cinematograph uses the same or allows it to be used or if the owner or occupier of any place permits that place to be used in contravention of the provisions of this Act or of the rules made thereunder or of the terms, conditions and restrictions upon or subject to which any licence under this Act has been, or is deemed to have been granted he shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to five thousand rupees for each day during which the offence continues."
- 3. Deletion of section 8-A, Rajasthan Act No. XXX of 1952.-The existing section 8-A of the principal Act shall be deleted.
- 4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. XXX of 1952.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"9. Power to revoke licence.- Where the holder of a licence has been convicted of an offence under section 7 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act No. 37 of 1952) or under section 8 of this Act or for the commission of any offence under the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), the licence may be revoked by the licensing authority."

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 was enacted to make provisions for regulating exhibitions by means of cinematographs. The existing section 8 of the Act provides for penalties for contravention of the Act and rules made thereunder. In present context, the penalties are very meager under this Act. The State Government has felt the necessity to revise the rate of penalties. Accordingly, section 8 is proposed to be amended suitably.

It is also found appropriate to decriminalise the offences under this Act. Therefore, the existing section 8-A, which provides for power to arrest without warrant, has now become redundant. Therefore, section 8-A is proposed to be deleted. Thus, consequential amendment is also being proposed in section 9 of the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

# EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CINEMAS (REGULATION) ACT, 1952

(Act No. XXX of 1952)

XX XX XX XX XX XX

- 8. Penalties for contravention of Act and Rules thereunder.— (1) If the owner or person incharge of a cinematograph uses the same or allows it to be used or if the owner or occupier of occupier of any place permits that place to be used in contravention of the provision of this Act or of the rules made thereunder or of the terms, conditions and restrictions upon or subject to which any licence under this Act has been, or is deemed to have been granted he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and, in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to two hundred rupees for each day during which the offence continues.
- (2) Where a person whose licence for cinematograph has been revoked under section 9, contravenes any provision of this Act or of the rules made thereunder he shall be punishable with imprisonment which may extened to three months, or with a fine which may extened to five thousand rupees, or with both and in the case of a continuing offence a further fine which may extend to five hundred rupees for each day during which the offence continues.
- **8A.** Power to arrest without warrant.— Any police officer may arrest without warrant any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under subsection (2) of section 8 of the Act.
- 9. Power to revoke licence.— Where the holder of a licence has been convicted of an offence under section 7 of the Cinematograph Act, 1952 (Act No. 37 of 1952 of the Central Legislature) or under sub-section (1) of section 8 of this Act or for the commission of any offence under the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act 1957, the licence may be revoked by the licensing authority.

 $XX \hspace{0.4cm} XX \hspace{0.4cm} XX \hspace{0.4cm} XX \hspace{0.4cm} XX \hspace{0.4cm} XX \hspace{0.4cm} XX$ 

## 2023 का विधेयक सं.20

# प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान सिनेमा विनियमन) संशोधन) विधेयक, 2023 जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सिनेमा विनियमन) अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिनेमा विनियमन) संशोधन) अधिनियम, 2023 है।
  - 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान सिनेमा विनियमन) अधिनियम, 1952 1952 का अधिनियम सं. 30), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "8. अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियां.- यदि, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या ऐसे निबंधनों, शर्तों और निर्बन्धनों, जिन पर या जिनके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञिस प्रदान की गयी है या प्रदान की गयी समझी गयी है, का उल्लंघन करते हुए, यदि सिनेमा यंत्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उस सिनेमा यंत्र का उपयोग करता है या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात करता है या यदि किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान का उपयोग करने देता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा और जारी रहने

वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।॥

- 3. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 8-क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-क हटायी जायेगी।
- 4. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
- □9. अनुजिस का प्रतिसंहरण करने की शिक्त.- जहां किसी अनुजिस धारक को चलचित्र अधिनियम, 1952 1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 7 के अधीन या इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन किसी अपराध का या राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 1957 का अधिनियम सं. 24) के अधीन कोई अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुजिस प्रतिसंहत की जा सकेगी।"।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सिनेमा विनियमन) अधिनियम, 1952 सिनेमा यंत्रों द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों को विनियमित करने के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की विद्यमान धारा 8, अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियों का उपबन्ध करती है। वर्तमान संदर्भ में, इस अधिनियम के अधीन शास्तियां बहुत कम हैं। राज्य सरकार ने शास्तियों की दर को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता महसूस की है। तदनुसार धारा 8 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का गैर-अपराधीकरण किया जाना भी समुचित पाया गया है। इसलिए विद्यमान धारा 8-क, जो बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति का उपबंध करती है, अब अनावश्यक हो गयी है। अत: धारा 8-क हटायी जानी प्रस्तावित है। इस प्रकार से अधिनियम की धारा 9 में भी पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

# राजस्थान सिनेमा विनियम न) अधिनियम, 1952 1952 का अधिनियम सं. 30) से लिये गये उद्धरण

## XX XX XX XX XX XX

- 8. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिये शास्तियां.- 1) यदि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के या ऐसे निबंधनों, शतों और निर्बन्धनों के जिन पर या जिनके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञित प्रदान की गई है या प्रदान की हुई समझी गई है, उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, सिनेमा यंत्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उस सिनेमा यंत्र का उपयोग करता है या उपयोग करने देता है या ऐसे किसी स्थान या स्वामी या अधिभोगी उस स्थान का उपयोग करने देता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, दो सौ रूपये तक का हो सकता है।
- 2) जहां वह व्यक्ति, सिनेमा यंत्र के लिये जिसकी अनुज्ञिति धारा 9 के अधीन प्रतिसंहत कर ली गयी है, इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है वहां वह ऐसे कारावास से, जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा इसके दौरान अपराध चालू रहता है, दण्डनीय होगा।
- 8क. बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति.- कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकेगा जिस पर अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा 2) के

अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने का युक्तियुक्त रूप से संदेह किया जाता है।

9. अनुजिस का प्रतिसंहरण करने की शक्ति.- जहां अनुजिस के धारक को सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952 केन्द्री य विधान मण्डल का 1952 का अधिनियम सं. 37) की धारा 7 के अधीन या इस अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा 1) के अधीन किसी अपराध का या राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 के अधीन कोई अपराध करने के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो वहां अनुजापन प्राधिकारी अनुजिस का प्रतिसंहरण कर सकेगा। XX XX XX XX XX XX

# THE RAJASTHAN CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A	
Bill	
ner to amend the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952.	further t
To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)	(To t
MAHAVEER PRASAD SHARMA, Principal Secretary.	

(Ashok Gehlot, Minister-Incharge)

2023 का विधेयक सं. 20

राजस्थान सिनेमा विनियमन) संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सिनेमा विनियमन) अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

\_\_\_\_\_

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

\_\_\_

महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)